संलग्नक–5

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने की प्रक्रिया

1-

जन उन्मुखीकरण

- जनपद स्तर पर जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति की बैठक एवं रणनीति का निर्माण
- क्लस्टर स्तर पर ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप का गठन
- ग्राम पंचायत विकास योजना मार्ग–दर्शिका का प्रकाशन
- 10 ग्राम पंचायतों पर 1 क्लस्टर का निर्माण
- जिला स्तरीय कार्यशाला के पश्चात् ग्राम सचिवों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक कर समुदाय का उन्मुखिकरण करना।
- जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का चयन
- जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन
- क्लस्टर स्तर पर योजना निर्माण के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु चार्ज ऑफिसर का चयन

2-

संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन

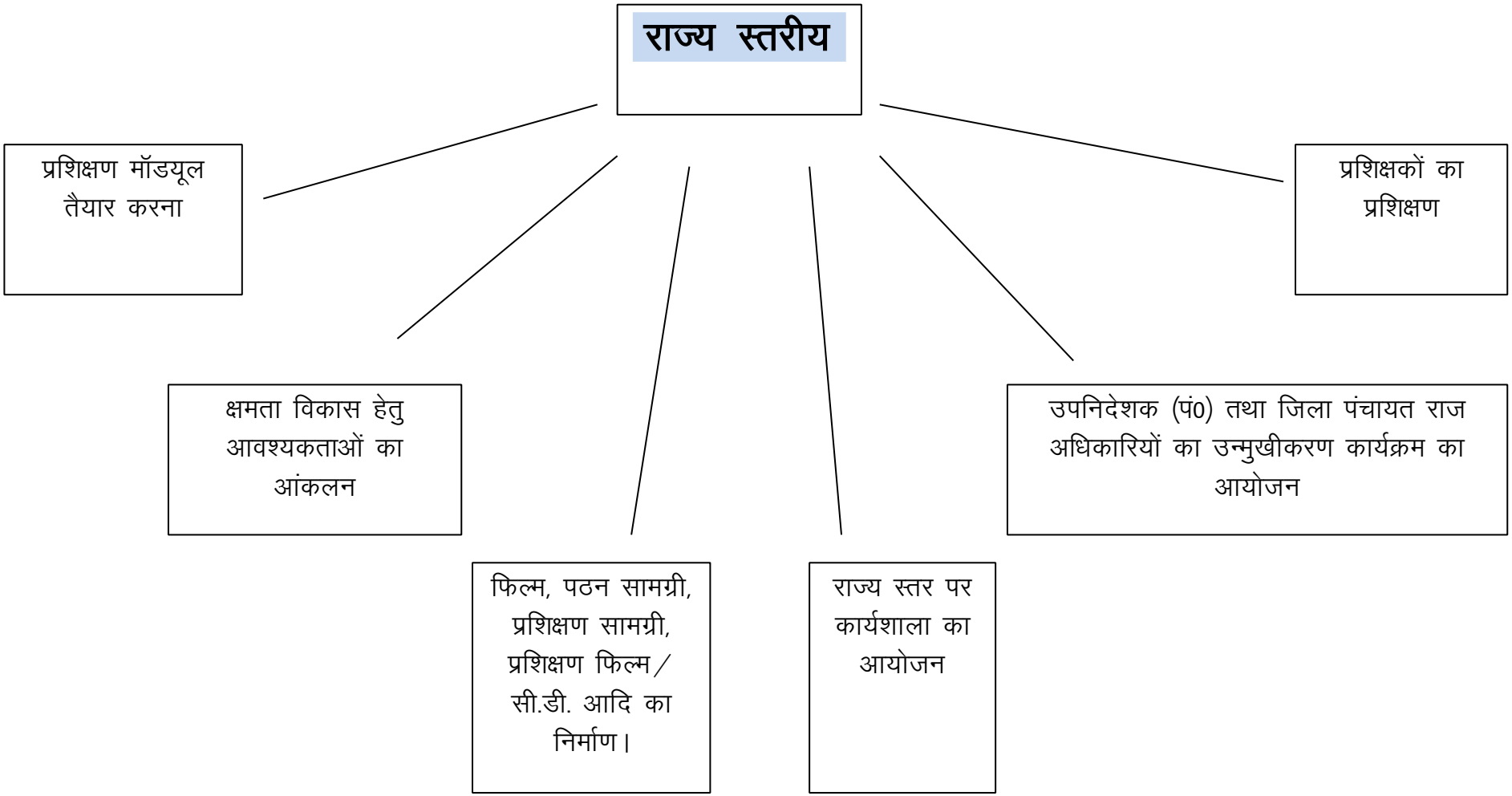

2-

संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन

जिला एवं खण्ड स्तरीय

- विभिन्न विभागों के अभियन्ताओं का दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- चयनित पंचायत प्रतिनिधियों का 2 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम
- खण्ड स्तरीय जे0ई0 का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- खण्ड स्तरीय ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- खण्ड स्तरीय चार्ज ऑफिसर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- खण्ड स्तरीय अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

3-

प्रारम्भ में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय बैठक का आयोजन।

ग्राम पंचायत का **ग्राम पंचायत विकास योजना** तैयार करने हेतु तिथि निर्धारण।

4-

पारिस्थितिक विशलेषण

ग्राम पंचायत स्तर के सहयोगी आंकड़े– Secondary Data

ग्राम पंचायत स्तर के प्रारम्भिक आंकड़े

- पी0आर0ए0 टूल्स
- सर्वे, इत्यादि

4-

कार्यों का प्राथमिकीकरण एवं परियोजना प्रस्ताव तैयार करना

- पारिस्थितिक विश्लेषण की रिपोर्ट ग्राम सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत करना।
- ग्राम सभा की बैठक में जन सामान्य की आवश्यकताओं एवं कार्यो का चिन्हीकरण करना तथा पंचायत के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी इकट्ठा करना।
- जन सामान्य की आवश्कताओं, पंचायत के पास उपलब्ध संसाधन तथा पारिस्थितिक विशलेषण को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा में आवश्यकताओं एवं कार्यो का प्राथमिकीकरण करना।
- ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप एवं क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप की सहायता से कार्यो का परियोजना प्रस्ताव तैयार करना।

5-

ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप देना

- ग्राम पंचायत की नियोजन एवं विकास समित द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार करना।
- ग्राम सभा के समक्ष खुली बैठक में चर्चा एवं अनुमोदन/स्वीकृति के लिए रखना।
- ग्राम पंचायतें द्वारा पंचवर्षीय ग्राम पंचायत विकास योजना को ध्यान में रखते हुए अपनी वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना।

6-

ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति

ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रखी जायेगी।

7-

परियोजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति

- रू0 50,000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा
- रू0 50,001 से रू0 250000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी द्वारा
- रू0 250001 से रू0 500000 तक कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा
- रू0 500001 से उपर की कार्ययोजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा

8-

योजना बनाने की प्रक्रिया एवं योजना मे लिए गए कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्याकंन

- पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को प्लान प्लस साफ्टवेयर (www.planningonline.gov.in) में अपलोड़ किया जाना।
- एक्शन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर (www.reportingonline.gov.in) के माध्यम से प्रत्येक माह कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को अपलोड किया जाना।
- योजना बनाये जाने की प्रक्रिया का शत् प्रतिशत निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी द्वारा 03 माह में किया जाना।
- जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत निरीक्षण 03 माह में किया जाना।
- मण्डलीय उप निदेशक पंचायत द्वारा 05 प्रतिशत निरीक्षण 03 माह में किया जाना।
- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 02 प्रतिशत निरीक्षण 03 माह में किया जाना।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचाायत के भ्रमण के समय ग्राम पंचायत विकास योजना का निरीक्षण किया जाना।